अशासकीय पत्र संख्या–1/शा0/48/2020–1/406/2020
लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021

प्रथम आवंटन (कांजी हाउस)
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–2515001010022–42,

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–19/2021/225/33–3–2021–100(16)/2018 दिनांक 03.03.2021 तथा शुद्धि पत्र सं0–629/33–3–2021–100(16)/2018 दिनांक 15.03.2021(छायाप्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत जिला पंचायतों में कांजी हाउसों में गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु अवस्थापना पर आने वाले व्यय हेतु **रू0–1364.36 लाख (रू0 तेरह करोड़ चौंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2021 में निहित निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2020–21 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार जिला पंचायतों को आवंटित की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित ई–पेमेंट के द्वारा सीधे सम्बन्धित जिला पंचायत के खाते में जमा की जायेगी। योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एव आई0एफ0एस0सी0 कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

4– सम्बन्धित जिला पंचायत द्वारा इस धनराशि को जिला पंचायत निधि में जमा कराकर दिनांक 31.03.2021 तक व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। कांजी हाउस निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही जिला पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाये एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6– उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–14 हेतु रू0–1364.36 लाख लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–22–जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन–42–अन्य व्यय मद में रू0 2000.00 लाख में रू0 1364.36 लाख के नामे डाला जायेगा।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8– वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कांजी हाउसों हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

9– पूर्व में निर्मित कांजी हाउसों की मरम्मत तथा नये कांजी हाउसों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अद्यतन एस0ओ0आर0 के आधार पर आंगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

10– कांजी हाउसों के संचालन/निर्माण हेतु जो कार्य प्रश्नगत योजना की प्राविधानित धनराशि से कराये जायेंगे, उन कार्यों हेतु अन्य किसी योजना से शासकीय धनराशि प्राप्त नहीं की जायेगी।

11– प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– निर्माण एवं व्यय के दौरान सम्बन्धित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14– कांजी हाउसों के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–90 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/48/1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03.03.2021 तथा 15.03.2021 के क्रम में।
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. संयुक्त सचिव वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
8. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
9. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
10. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लोहिया भवन, लखनऊ।
11. उपनिदेशक (पं0), योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
12. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, बिजनौर, सम्भल, बरेली, खीरी, बस्ती, महराजगंज, अमेठी, चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जालौन, हमीरपुर, गोरखपुर, बहराइच, सोनभद्र, रायबरेली, ललितपुर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, कौशाम्बी, सीतापुर, इटावा, कुशीनगर, श्रावस्ती, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, बदायूं, बुलन्दशहर तथा सन्तकबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।